भारत सरकार
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य)
Ministry of Environment, Forests & Climate Change
Regional Office (Central Region)

केन्द्रीय भवन पंचम तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024
Kendriya Bhawan 5th Floor, Sector H Aliganj Lucknow-226024 Telefax 2326696 2324340 2324047 2324025
Email (Env.) m env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8बी/यू.पी./04/96/2014/एफ.सी./810 **दिनांक 17-9-15**

सेवा में,

प्रमुख सचिव(वन),
वन अनुभाग 6वा तल,
बापु भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

विषय 800 के0वी0एच0वी0डी0सी0, गोपालगंज गोरखपुर पारेषण लाईन में प्रभावित 23 वृक्षों के पातन एवं संरक्षित वनभूमि क्षेत्रफल 0.2070 हे0 (पूर्व में– 0.21 हे0) के प्रत्यावर्तन के संबंध में।

सन्दर्भ नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तर प्रदेश की पत्र संख्या–2070/11–सी–198,

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक–2136/11सी–198, दिनांक– 10.06.2013 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 30.10.2013 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसकी उल्लिखित शर्तों की अनुपालना मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत 800 के0वी0एच0वी0डी0सी0 गोपालगंज गोरखपुर पारेषण के निर्माण हेतु 0.2070 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 23 वृक्षों के पातन की विधिवत स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वृक्षों के दस गुने अर्थात 230 वृक्षों के वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा। उक्त वृक्षारोपण का कार्य विधिवत स्वीकृति जारी होने के 01 वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाएगा।

3. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित पारेषण लाइन के नीचे बौने पौधो (मुख्यत: औषधीय पौधे) के रोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जाएगा।

4. अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

5. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा वन संरक्षण अधिनियम,1980 के अन्तर्गत जारी हेन्ड बुक के Annexure-V में दिये गये मार्गदर्शी नियमों का कड़ाई से पालन किया जायेगा।

16/9/15

Scanned by CamScanner

6 परियोजना के निर्माण व रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।

7 प्रस्तावित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

8 प्रस्तावित वनभूमि को अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नही किया जाएगा।

9 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ट्रान्समिशन लाईन के निर्माण के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/किरासिन तेल की आपूर्ति की जायेगी ताकि निकटवर्ती वन को क्षति न हो।

10 प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

11 प्रस्तावित वन क्षेत्र का पिलर स्तम्भों द्वारा सीमांकन प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर किया जाएगा। प्रत्येक पीलर पर क्रमांक डी0जी0पी0एस0 निर्देशांक Backword and Forword bearing एवं अपने निकटवर्ती पीलर से दूरी दर्शायी जाएगी, उक्त सीमांकन का कार्य विधिवत स्वीकृति जारी होने के 03 माह के भीतर पूर्ण किया जाएगा।

12 प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिसपोजल कार्ययोजना के अनुसार वन विभाग की देख–रख में किया जायेगा।

13 प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

भवदीय,

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1 अतिरिक्त वन महानिदेशक एफ.सी. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003
2 निदेशक (आर0ओ0एच0क्यू0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003
3 नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, अरण्य भवन, 17 राणा प्रताप मार्ग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4 मुख्य वन संरक्षक, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश।
5 प्रभागीय निदेशक, देवरिया वन प्रभाग, देवरिया, उत्तर प्रदेश।
6 पावर ग्रिड कार्पो0 इण्डिया लि0 (भारत सरकार का उपक्रम), 800 के0वी0 एच0वी0डी0सी0 टी0/एल ऑफिस एच/ओ–तुफैल अहमद निकट चन्द्र सिनेमा हाल, बन्जारी, गोपालगंज–841428, बिहार
7 श्री कमल मिश्रा, राजभाषा अनुभाग, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
8 आदेश पत्रावली।

16/9/15

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (के0)

Scanned by CamScanner